

अध्यक्ष काउंसिलिंग समिति एवं संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

एमबीए/एमसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु

ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग कार्यक्रम (प्रथम चरण), सत्र 2012-13

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं के घोषित परिणामों के आधार पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार (भेरिट सूची तथा प्रतीक्षा सूची के समस्त उम्मीदवार) तालिका में दिये गये कार्यक्रमानुसार ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग में इंटरनेट के माध्यम से अपने घर/शहर/गाँव से, अधिकृत सहायता केन्द्रों से अथवा एमपीऑनलाइन के मध्यप्रदेश स्थित किसी भी कियोस्क से वेबसाइट www.dtempcounselling.org या www.mponline.gov.in के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं। अधिकृत सहायता केन्द्रों-सह-कियोस्क केन्द्रों की सूची उपरोक्त दोनों वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

// समय-सारणी //

पाठ्यक्रम	ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	दस्तावेजों का सत्यापन #	इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना	आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता एवं आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश	अपग्रेडेशन* का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना	अपग्रेडेशन के पश्चात आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता तथा आवंटित संस्थानों में उपस्थिति एवं प्रवेश
एमबीए (फुल/पार्ट टाइम) पाठ्यक्रम (एमईटी 2012 आधारित)	19/07/2012 से 30/07/2012 सांय 3 बजे तक	19/07/2012 से 30/07/2012 (प्रातः 10:30 बजे से सांय 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	19/07/2012 से 30/07/2012 रात्रि 11:45 बजे तक	04/08/2012 से 08/08/2012 सांय 6:00 बजे तक	04/08/2012 से 08/08/2012 रात्रि 11:45 बजे तक	11/08/2012 से 14/08/2012 सांय 5:00 बजे तक
एमसीए पाठ्यक्रम (पी एमसीए 2012 आधारित)	19/07/2012 से 30/07/2012 सांय 3 बजे तक	19/07/2012 से 30/07/2012 (प्रातः 10:30 बजे से सांय 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	19/07/2012 से 30/07/2012 रात्रि 11:45 बजे तक	04/08/2012 से 08/08/2012 सांय 6:00 बजे तक	04/08/2012 से 08/08/2012 रात्रि 11:45 बजे तक	11/08/2012 से 14/08/2012 सांय 5:00 बजे तक

महत्वपूर्ण- प्रापेक कार्यवाही उपरान्त ऑनलाइन रसीद अवश्य प्राप्त करें।

➤ इस काउंसिलिंग में अनारक्षित (UR) श्रेणी (बिना वर्ग) के उम्मीदवारों को दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों से नहीं कराना है, वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के उपरान्त सीधे "इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर, प्राथमिकताक्रम को लॉक" कर सकते हैं।

सभी आरक्षित श्रेणी/वर्ग से प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के उपरान्त अपने दस्तावेजों सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों से कराना आवश्यक है तथा सत्यापन उपरान्त "इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर, प्राथमिकताक्रम को लॉक" कर सकते हैं। जिन आरक्षित श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को सत्यापन कराना है वे निम्नानुसार हैं-